(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2636–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–12 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील इंदौर प्रकरण कमांक 69/अ–6/08–09.

1– रामकृष्ण पिता स्व. नाथूराम जी सांखला
2– गोपाल सिंह पिता स्व. नाथूराम जी सांखला
निवासीगण 13, बिजासन रोड इंदौर
अखण्ड धाम, इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्री अविनाशी आश्रम अखण्डधाम ट्रस्ट
14, बिजासन रोड
तर्फे बालकृष्ण पिता दौलतराम अग्रवाल
निवासी 45, गुलमोहर कालौनी, इंदौर
2– नारायण सिंह पिता राधाकृष्ण (मृत)
द्वारा वारिसान–
(1) श्रीमती सुशीलाबाई बेवा स्व. नारायण सिंह
निवासी 15, बिजासन रोड, इंदौर
(2) श्रीमती लता पति अशोक कुमार पंवार
निवासी मंशामन गणेश कालौनी, इंदौर
(3) भारती पति चन्द्रशेखर
निवासी राधानगर नीलकंठ कालौनी, इंदौर
(4) सुधा पति जुगलकिशोर भाटी
निवासी सांकला कालौनी
15, बिजासन रोड, इंदौर
(5) अरूणा पति जीवन
निवासी सांकला कालौनी
15, बिजासन रोड, इंदौर
(6) कामिनी पिता स्व. नारायण सिंह
निवासी सांकला कालौनी
15, बिजासन रोड, इंदौर
3– देवकृष्ण पिता राधाकृष्ण
4– जानकीलाल पिता राधाकृष्ण
5– मुरलीधर पिता राधाकृष्ण (मृतक)
द्वारा वारिसान
(1) श्रीमती कुसुम पति स्व. मुरलीधर
(2) श्रीमती सिखा पति राकेश कछवाहा
(3) शानू पति अकलेश

(4) शेखर पिता स्व. मुरलीधर
निवासागण 15, बिजासन रोड, इंदौर
6-- नरसिंह पिता राधाकृष्ण
7-- गणपत पिता राधाकृष्ण
8-- मनोरमाबाई पिता राधाकृष्ण
निवासागण 15, बिजासन रोड, इंदौर .....अनावेदकगण

श्री एस.एस. तोमर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.एन. फड़के,, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/2/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, तहसील इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, तहसील इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि नाथूराम द्वारा अनावेदक कमांक 1 ट्रस्ट के पक्ष में पंजीकृत दानपत्र दिनांक 25–1–1965 को निष्पादित कर ग्राम सुल्काखेड़ी तहसील इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 131/1/1 (क) एवं 131/1/2 (ख) रकबा कमशः 0.162 एवं 0.250 में से 1–00 एकड़ भूमि दान में दी गई है, अतः उक्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत किया जाये । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 69/अ–6/08–09 दर्ज कर दिनांक 21–6–09 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–5–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । तदोपरांत आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर पूर्वानुसार आवेदकगण सहित अन्य का नाम दर्ज किया जाये । अपर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरा आवेदकगण का अनावेदक

कमांक 1 के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण किये जाने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किये जाने पर अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–6–12 को आदेश पारित कर आवेदकगण का प्रतिपरीक्षण किये जाने का अवसर समाप्त किया गया । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक श्री जगदीश पाण्डे के द्वारा दिनांक 20–4–12 को प्रतिपरीक्षण किया गया है एवं शेष प्रतिपरीक्षण हेतु दिनांक 14–6–12 की पेशी नियत की गई । इसके पश्चात प्रकरण दिनांक 21–6–12 को प्रतिपरीक्षण के लिए नियत था, और न्यायालय में दोनों पक्षों के अभिभाषक उपस्थित थे, परन्तु अतिरिक्त तहसीलदार अपने चैम्बर में बैठे रहे और बोर्ड पर नहीं आये । आवेदकगण के अभिभाषक अनेक बार प्रतिपरीक्षण प्रारंभ करने का निवेदन किया गया, परन्तु अपर तहसीलदार द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, अतः 4 बजकर 55 मिनट पर आवेदकगण के अभिभाषक शवयात्रा में शम्मिलित होने के लिए चले गये । तत्पश्चात अपर तहसीलदार द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करते हुए आवेदकगण का साक्ष्य प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया गया, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हुई है ।

(2) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सम्पूर्ण कथन एवं प्रतिपरीक्षण पूर्ण होने के उपरांत ही आदेश पारित किया जाना चाहिए, परन्तु अपर तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने में मनमानी कार्यवाही की गई है ।

(3) लिखित तर्क में उठाये गये अन्य आधार इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी मात्र तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 ट्रस्ट को दान में प्राप्त हुई है, और आवेदकगण अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं होने देना चाहता है ।

(2) आवेदकगण द्वारा दुर्भावनापूर्वक अनावेदक कमांक 2 लगायत 8 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कराई गई, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने के उपरांत अनावेदक कमांक 2 लगायत 8 द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(3) आवेदकगण की ओर से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 ट्रस्ट का नामांतरण स्वीकार किये जाने में लिखित सहमति शपथ पत्र के माध्यम से दी जा चुकी है, इसलिए अब आवेदकगण को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कोई स्वत्व नहीं है, और उनके द्वारा जानबूझकर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से कार्यवाहियां की जा रही है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखि तर्कों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया है । अतः न्यायहित में तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 21–6–12 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर